न्यायालय- ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

<u>(आप.प्रक.क.–1027 / 2012)</u> <u>(संस्थित दिनांक :–26.12.12)</u>

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र-गोहद जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

// विरूद्ध //

- 1— शिवचरन पुत्र रामेश्वर गुर्जर उम्र 29 साल
- २- रामेश्वर पुत्र साधूसिंह गुर्जर उम्र 63 साल निवासीगण ग्राम खरौआ थाना गोहद

.....अभुयक्तगण

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक 26.10.16 को घोषित)

अभियुक्तगण पर भा.द.सं. की धारा 452, 323/34, 506 भाग बी के अन्तर्गत आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 06.10.12 को शाम 4:30 बजे के लगभग फरियादी का मकान ग्राम खरौआ में उपहित कारित करने की तैयारी के पश्चात् फरियादी के मकान जो कि निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर ग्रहअतिचार कारित किया, सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी राजेन्द्र की लाठी डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहित कारित की तथा फरियादी राजेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी राजेन्द्रसिंह द्वारा दि0 06.10.12 को थाना गोहद में इस आशय की रिपोर्ट की गयी कि अभियुक्तगण से दिनांक 04.10.12 को उसका विवाद हो गया था जिसकी लिखित रिपोर्ट उसने उक्त दिनांक को की थी जिसकी जानकारी करके अभियुक्तगण दिनांक 06.10.12 को शाम 4:30 बजे उसके घर आए, जब वह अपने जानवर बांध रहा था। अभियुक्तगण को देखकर वह अपने घर में घुस गया। शिवचरन फरसा लिए और रामेश्वर लाठी लिए था। दोनों उसके घर घुस आए, बोले तुमने रिपोर्ट क्यों की वापस ले लो नहीं तो ठीक नहीं होगा तथा रामेश्वर ने लाठी मारी जो उसकी पीठ में लगी जिससे मुदी चोट आई। वह चिल्लाते हुए कमरे में घुस गया तो आरोपी शिवचरण ने मारना चाहा इतने में साक्षी कोकसिंह, मदनसिंह, मुन्नीसिंह तथा फरियादी का भाई मलखानसिंह आ गए जिन्हें देखते हुए अभियुक्तगण गांव की तरफ कहते हुए चले गए कि आज तो बच गया अगर रिपोर्ट वापस नहीं ली तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त सूचना से अप0क0—223/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान चिकित्सीय परीक्षण कराया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

- 03. आरोपीगण को पद क0 1 अन्तर्गत आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। दप्रस की धारा 313 के अधीन कथन में स्वयं के निर्दोष होने खेतों में भैंस चले जाने से रंजिशन झूंठा फंसाए जाने का कथन किया है।
- 04. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:--
 - 1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.10.12 को शाम 4:30 बजे के लगभग फरियादी का मकान ग्राम खरौआ में उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् फरियादी के मकान जो कि निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर ग्रहअतिचार कारित किया ?
 - 2-क्या उक्त दिनांक, समय पर फरियादी राजेन्द्र के शरीर पर कोई चोटें मौजूद थी, यदि हां तो उनकी प्रकृति ?
 - 3—क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने उक्त चोटें सामान्य आशय के अग्रशरण में कारित की ?
 - 4—क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से किसी प्रकार की धमकी दी गयी ?
 - 5—क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को दी धमकी से फरियादी को भय अथवा संत्रास कारित हुआ ?

सकारण निष्कर्ष

05. अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादी राजेन्द्र, अ.सा.01, कोकसिंह अ0सा0 2, कदमसिंह अ0सा0 3, डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 4, मलखानसिंह अ0सा0 5, शिवकुमार शर्मा अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया, जबिक अभियुक्तगण की ओर से बचाव में स्वयं अभियुक्त रामेश्वर ब0सा0 1 को परीक्षित कराया गया है।

/ / विचारणीय प्रश्न क्रमांक ४ व 5 / /

- 06. फरियादी राजेन्द्रसिंह अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना उनके साक्ष्य से करीब 3 वर्ष पहले की 3—4 बजे की है, वे अपने खेतों पर थे उस समय अभियुक्त रामेश्वर ने अपनी भैंसे उसके खेत में कर दी तो जब साक्षी ने उससे कहािक तूने हमारे खेत में भैंसे क्यों कर दी इस बात पर रामेश्वर ने उससे गाली गलौंच की और वे अपने अपने घर चले गए जिसकी रिपोर्ट उसने थाना गोहद में की थी। उसके दो दिन बाद जब वह खेत पर गया था और खेतों में बने मकान में लेटा था उस समय आरोपीगण शिवरचण फरसा लिए और रामेश्वर लाठी लिए आए और गाली गलौंच करने लगे इसके पश्चात् मारपीट होने का कथन करता है। तत्पश्चात् अभियुक्तगण बोले कि आज तो बच गए आईदा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी घटना के संबंध में प्र0पी0 1 की रिपोर्ट करना बताकर उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करता है।
- 07. कोकिसंह अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा यह फिरयादी से कहे जाने पर साक्ष्य देते हैं कि अभियुक्तगण बोले कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। कदमिसंह अ0सा0 3 बताते हैं कि आरोपीगण कह रहे थे कि अगर रिपोर्ट की तो तुझे देख लेंगे। मलखान अ0सा0 5 यह

कथन करते हैं कि अभियुक्तगण कहते हुए चले गए कि रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे। प्र0पी0 1 की रिपोर्ट जो फरियादी द्वारा लेख कराई गयी है उसमें यह तथ्य लेख है कि "कहते गए कि आज तो बच गया अगर रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आईदा जान से खत्म कर देंगे।" इस प्रकार से सभी साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा अभिकथित भिन्न भिन्न धमिकयां देने का कथन किया है। फरियादी राजेन्द्र अ0सा0 1 रिपोर्ट करने या वापस लेने के संबंध में आरोपीगण द्वारा धमकी देते समय कोई तथ्य प्रकट किए जाने का कथन नहीं करते बल्कि आईदा जान से खत्म कर देंगे की धमकी बताते हैं। शेष साक्षीगण अन्य कथन करते हैं जबिक प्र0पी0 1 की प्राथमिकी में पूर्व में की गयी रिपोर्ट वापस न लेने पर जान से खत्म कर देने की धमकी का तथ्य लेख है।

8. संहिता की धारा 506 भाग दो के अधीन अभियोजन को यह तथ्य प्रमाणित करना होता है कि फरियादी को अभियुक्तगण या उनमें से किसी के द्वारा ऐसी धमकी दी गयी जिसमें मृत्यु कारित करने, अग्नि द्वारा रिष्टि या स्वेच्छा घोर उपहित कारित किए जाने के संबंध में संत्रास कारित करने का आशय रहा हो। भय अथवा संत्रास कारित होने के तथ्य का विनिश्चय मानसिक तथ्य संबंधी है जिसका निष्कर्ष साक्षीगण के कथनों और विशेषकर साक्षियों के आचरण के आधार पर निकाला जाना संभव होता है। प्रकरण में उक्त साक्षियों द्वारा भय अथवा संत्रास कारित होने के संबंध में अभिव्यक्त रूप से कथन नहीं किया गया है। जहां तक साक्षीगण के आचरण का प्रश्न हैं तो फरियादी राजेन्द्र अ0सा0 1 प्र0पी0 1 की रिपोर्ट घटना के पश्चात् थाने में करना बताते हैं उक्त रिपोर्ट में घटनास्थल की दूरी आरक्षी केन्द्र से करीब 6 किमी0 लेख की गयी है और घटना से मात्र 45 मिनिट के भीतर प्र0पी0 1 की प्राथमिकी अविलंब लेख कराई गयी है। जिसमें भी कोई भय या संत्रास यदि होता तो उसमें विलंब की स्पष्टीकरण के रूप में उसका उल्लेख होता। इस प्रकार से प्रकरण में फरियादी को भय अथवा संत्रास कारित होने के संबंध में तथ्य प्रमाणित नहीं हैं। अतः संहिता की धारा 506 भाग दो का आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

/ / विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 / /

- 9— राजेन्द्र अ0सा0 1 अभियुक्तगण के आने पर अपने घर के अंदर चले जाने और अभियुक्त रामेश्वर द्वारा लाठी लेकर अंदर आकर पीछे से मारना जिससे पीठ में चोट कारित होने के संबंध में कथन किया गया है। रिपोर्ट प्र0पी0 1 में भी पीठ में चोट आने का उल्लेख है। इस प्रकार प्र0पी0 1 की प्राथमिकी से फरियादी के कथन की संपुष्टि हो रही है। कोकसिंह अ0सा0 2, कदमसिंह अ0सा0 3 व मलखानसिंह अ0सा0 5 जो घटना के चक्षुदर्शी साक्षी बताए गए हैं वे भी अभियुक्त रामेश्वर की लाठी से फरियादी राजेन्द्र की पीठ में चोट कारित होने की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार से मौखिक साक्ष्य से भी फरियादी की चोटों की संपुष्टि हो रही है।
- 10. प्रकरण में डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 06.10.12 को सीएचसी गोहद में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ होने का कथन करते हुए थाना गोहद के आरक्षक न0 989 नरेश द्वारा लाए जाने पर आहत / फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण किए

जाने का कथन करते हैं। आहत को चिकित्सीय परीक्षण करने पर बांए स्केपुला में नीचे की ओर 4 गुणा 3 सेमी0 की सूजन व एक अन्य सूजन लंबर बर्टीब्रा में दूसरे नंबर पर 3 गुणा 2 सेमी0 के आकार की पाए जाने का कथन करते हुए चिकित्सक द्वारा चोट कठोर एवं भौथरी वस्तु से आना प्रतीत होने की राय देते हुए परीक्षण की अवधि से 0 से 6 घण्टे की चोट सामान्य प्रकृति की होने की राय देते हैं, अपनी चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी0 3 बताकर उस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। चिकित्सक द्वारा आहत के चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर चिकित्सक द्वारा उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित होने से उस पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार नहीं दर्शाता है। फरियादी की चोट के संबंध में अभियुक्त की ओर से गिरने से चोट आना संभव होने के संबंध में चिकित्सक को सुझाव दिया है जिसे चिकित्सक ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। किन्तु इस प्रकार का कोई सुझाव स्वयं आहत को नहीं दिया गया ऐसे में स्वयं अभियुक्तगण की ओर से सुझाव के रूप में स्वीकार किया गया है कि आहत को अभिकथित दिनांक 06.10.12 को सुसंगत समय शाम करीब 4:30 बजे उसकी पीठ में दो चोट मौजूद थी जो कि सख्त व भौथरी वस्तु से कारित हुई थी।

/ / विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 3 / /

- 11. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थित में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उक्त दोनों प्रश्नों का एक साथ विवेचन किया जा रहा है। फरियादी राजेन्द्र अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि जब अभियुक्तगण दो दिन पूर्व हुए झगड़े की रिपोर्ट की जानकारी मिली तो उसके खेत में बने मकान जिसमें वह लेटा था, शिवचरन फरसा और रामेश्वर लाठी लेकर आए और फरियादी को गाली गलौंच करने लगे। जब फरियादी घर के अंदर गया तो अभियुक्त रामेश्वर घर के अंदर आकर पीछे से उसे लाठी मारी जो उसकी पीठ में लगी और अभियुक्त शिवचरण ने फरसा जमीन पर पटक दिया। शोर गुल की आवाज सुनकर कोकसिंह, मुन्नी, कदमसिंह आ गए थे और बीच बचाव किया। इस प्रकार से साक्षी द्वारा अभियुक्तगण का उसे उपहति कारित करने के आशय एवं फरसा एवं लाठी लेकर तैयारी से उसके खेत में बने मकान पर आकर गाली गलौंच करने लगने का कथन किया गया है जो कि उनके सामान्य आशय के अनुकम में फरियादी को उपहति कारित करने की तैयारी एवं आशय को स्पष्ट करता है। फरियादी के अनुसार घटना के चक्षुदर्शी साक्षी कोकसिंह व कदमसिंह अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए। उक्त दोनों ही साक्षी फरियादी के कथन की पुष्टि करते हुए अभियुक्त शिवचरण द्वारा फरसा लाकर और अभियुक्त रामेश्वर द्वारा लाठी लाकर फरियादी राजेन्द्र के हार / खेत वाले मकान पर आने और घर के अंदर घुसकर अभियुक्त रामेश्वर द्वारा राजेन्द्र को लाठी मारने के कथन की पुष्टि की गयी है।
- 12. मलखान अ0सा0 5 जो कि फरियादी का भाई भी है, वह कथन करता है कि घटना के समय वह अपने खेत पर जोडरी बाजरा देख रहा था और उसके खेत के बगल में फरियादी राजेन्द्र का घर है इतने में उसे राजेन्द्र के चिल्लाने की आवाज आई तो वह भाग कर उस स्थान पर पहुंचा जहां से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, उसने देखा कि अभियुक्त शिवचरण व रामेश्वर दोनों

राजेन्द्र के पीछे उसके घर में घुस गए और रामेश्वर ने लाठी राजेन्द्र को मारी जो उसके पीठ में लगी, शिवचरन फरसा लिए थे, जब तक वे फरसा मारने को हुए तो वे, कोकसिंह, मुन्नी और कदम सिंह आ गए थे। शिवचरन ने राजेन्द्र को फरसा मारा नहीं था। इस प्रकार से यह साक्षी भी अभियुक्त गण द्वारा साशय तैयारी के पश्चात् फरियादी राजेन्द्र के मानव निवास अथवा संपत्ति की अभिरक्षा हेतु प्रयुक्त स्थान में उसे उपहित कारित करने के लिए आपराधिक ग्रह अतिचार एवं फरियादी को स्वेच्छा उपहित कारित करने के संबंध में कथन करते हैं।

- प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह बचाव लिया गया है कि चुनावी रंजिश के कारण अभियुक्तगण को असत्य रूप से फंसाया गया है। इस संबंध में रामेश्वर ब0सा0 1 स्वयं अभियुक्त अपने कथन में यह बताते हैं कि फरियादी ने चुनावी रंजिश के कारण मलखानसिंह (साक्षी) ने अपने राजनैतिक प्रभाव के कारण अपने भाई राजेन्द्र से झूंठा मुकदमा पंजीबद्ध कराया है। अभियुक्तगण की ओर से दप्रस की धारा 313 के परीक्षण में यह कथन किया है कि खेतों में भैंस चली जाने के कारण रंजिशन झूंटा फंसाया गया है। खेतों में भैंस चली जाने के संबंध में फरियादी राजेन्द्र अ0सा0 1 इस बात की जानकारी न होने का कथन करते हैं कि रामेश्वर की भैंसे उसके खेत में किस दिनांक को चर रही थी और तब उसने रोका था। वह यह बताने में भी अस्मर्थ है कि किस दिनांक को उसने थाने पर रिपोर्ट की। साक्षी से उसके खेत में भैंस चले जाने की रंजिश के कारण झूंठी कार्यवाही का सुझाव दिया गया जिससे साक्षी ने इंकार किया है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जावे कि अभियुक्त की भैंस फरियादी राजेन्द्र के खेत में घुस गयी थी जिसके कारण रंजिश थी किन्तु अभिकथित रंजिश के कारण ही दिनांक 06.10.12 को असत्य रिपोर्ट की गई यह तथ्य सिद्ध किए जाने हेतु अभियोजन की साक्ष्य की सत्यता को खण्डित करने के संबंध में सारवान साक्ष्य होना आवश्यक थी, मात्र सुझाव के आधार पर झूंठी रिपोर्ट, झूंठी चिकित्सीय जांच, झूंठी साक्ष्य दिए जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं हो जाता है। साथ ही अभिकथित रूप से भैंस फरियादी के खेत में घुस जाने के संबंध में अभियुक्तगण की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षीसे साक्ष्य का समर्थन नहीं कराया गया। अभियुक्त रामेश्वर ब0सा0 1 स्वतः प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने झूंठा मुकदमा दर्ज कराए जाने की कोई शिकायत किसी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं की और झूंठे मुकदमा दर्ज कराए जाने के संबंध में साक्ष्य में पहली बार बताए जाने का कथन कर रहे हैं। ऐसी दशा में जहां कि अभियोजन की संपृष्टिकारक साक्ष्य अभिलेख पर है, मात्र रंजिश के आधार पर अभियोजन का मामला दूषित व संदिग्ध नहीं हो जाता।
- 14. प्रकरण में चुनावी रंजिश के कारण फरियादी द्वारा झूंठी रिपोर्ट करने और अपने भाई मलखान से मिलकर असत्य कार्यवाही कराने का बचाव लिया गया है, चुनावी रंजिश के संबंध में फरियादी राजेन्द्र अ०सा० 1, कोकसिंह अ०सा० 2 तथा मलखान अ०सा० 5 अपने प्रतिपरीक्षण में रंजिश से इंकार करते हैं। जहां तक चुनावी रंजिश का कथन किया गया है जबिक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस व्यक्ति से किस व्यक्ति का चुनाव हुआ था और कब हुआ था जिससे घटना के समय उसकी अधिसंभाव्यता की परीक्षा हो सकती। ऐसे में चुनावी रंजिश संबंधी बचाव सारहीन तथा किल्पत

तथ्यों के आधार पर बुना गया है जो कि अभियोजन की सुदृढ व संपुष्टकारी साक्ष्य के समक्ष कोई मूल्य नहीं रखता है और अभियुक्तगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क पेश किया है कि साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय नही हैं वे सभी हितबद्ध साक्षी हैं ऐसे में उनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जबकि प्रकरण में फरियादी राजेन्द्र अ०सा० 1 व मलखान अ०सा० 5 भी भाई भाई हैं, कोकसिंह अ०सा० 2 व कदमसिंह अ०सा० 3 किस प्रकार से हितबद्ध उनकी हितबद्धता के संबंध में अभियुक्तगण की ओर से कोई भी सारवान तथ्य उनकी अभिसाक्ष्य में अथवा अन्य रूप में प्रस्तृत नहीं किया गया। साक्षी राजेन्द्र अ०सा० 1 से प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में दियागया सुझाव साक्षी कोकसिंह की घटना के समय उपस्थिति के तथ्य को स्वयं स्पष्ट करता है जिसमें अभियुक्तगण की ओर से सुझाव दिया गया कि "यह कहना सही है कि उदय सिह, कोकसिंह जब आए तब झगडा हो रहा था।'' इस प्रकार से स्वयं झगडा होने का तथ्य अभियुक्तगण के सुझाव से स्पष्ट है जिसे खण्डित करने हेतु सारवान एवं संपुष्टिकारक साक्ष्य होना आवश्यक थी जो कि अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसे में अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे इस संबंध में प्रमाणित है कि दिनांक 06.10.'12 को समय करीब 4:30 बजे ग्राम खरौआ हार में फरियादी राजेन्द्र के मकान जो निवास उपयोग में आता था उसमें तैयारी पश्चात् प्रवेशकर अभियुक्त गण द्वारा ग्रहअतिचार कारित कर अभियुक्त रामेश्वर द्वारा फरियादी को उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अनुक्रम में लाठी से स्वेच्छा चोट पहुंचाकर उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 506 भाग दो के अधीन दोषमुक्त व संहिता की धारा 452 व 323/34 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

- 15. अभुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं, उन्हें अभिरक्षा में लिया जावे।
- 16. अभियुक्तगण को उनके स्वेच्छिक एवं गंभीर अपराध को देखते हुए तथा उनकी परिपक्व आयु को ध्यान में रखते हुए उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थिगत किया जाता है। सही/—

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

17. अभियुक्तगण एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के पिता एवं पुत्र होने के व उनके ग्रामीण कृषक होने के आधार पर एवं फरियादी एक ही गांव के होने से उन्हें कम से कम दण्ड से दिण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

- 18. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। साथ ही उनके पिता पुत्र होकर ग्रामीण कृषक होना अभिलेख पर है। फरियादी तथा अभियुक्तगण के मध्य विवाद मैंस के खेत में घुस जाने की मामूली बात से प्रारंभ होने तथा फरियादी को आई साधारण चोटें के कारण दण्ड के प्रश्न पर व उसके निर्धारण करने के समय विचारण योग्य है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए को अभिक्तगण को संहिता की धारा 452 के अधीन कमशः एक—एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 700—700 रूपये के अर्थदण्ड तथा संहिता की धारा 323/34 के अधीन 3—3 माह के सश्रम कारावास व 500—500 रूपये के अर्थदण्ड (कुल 1200—1200 रूपये अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त के लिए) से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिकम की दशा में अभियुक्त को एक—एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे। यह स्पष्ट किया जाता हैकि अभियुक्तगण की दोनों धाराओं में की गयी सजायें एक साथ भुगताई जावें।
- 19. अभियुक्तगण से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी / आहत राजेन्द्रसिंह को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दप्रस की धारा 357—1 ख के अधीन 1000 रूपये आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।
- 20. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।
- 21. निर्णय की एक एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।
- 22. अभियुक्तगण की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रसं0 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सहा / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश